

(प्राधिकृत अधिकारी)

कोरोना के कहर से बचें, घर में सुरक्षित रहे।

सेवा में डा० डा०/डा० नि

या कुलिया

महाशया

गाँव के नाम पर हैं। कशावली के आवेदिन भूमि स्वतन्त्रानी रेंचत 3 मेरा
देशवत गाँव तथा देवद गाँव ने दलिल सं-1449 दिनांक-8/9/22
के द्वारा बिक्री किये हैं, जिसमें स्वतन्त्रानी रेंचत के अन्य पौता चित्तेश
गाँव के द्वारा उक्त भूमि पर आपत्ति की गई है, जंयल अधिकारी के-यापाल
में दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए नोटिस भिजित कर बुलाया गया किंतु
प्रथम पक्ष के समझौता करने से इनकार किया गया है ऐसी स्थिति में प्रथम
पक्ष पर बिना आपत्ति लिए नामान्तरण से संबंधित अंतरासर कारवाई करना
उचित तरीका नहीं होता है।

अतः नामान्तरण वाद सं-423/22-23 को अस्वीकृत किया जा सकता
है।



~~अ~~ अस्वीकृत